फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री मीठालाल **विपक्षी : श्री लच्छीराम**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 30/23**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 08.02.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी सं. 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी सं. 1 से 4 द्वारा बावजूद सूचना उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के पिता अमरा के नाम दर्ज होकर खातेदार हैं। अमरा वर्तमान में फौत हो चुका हैं। विपक्षीगण उक्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रकरण में दिनांक 31.03.2023 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर विपक्षी सं. 1 से 4 को मौके की यथास्थिति हेतु पाबंद किया जा चुका हैं। प्रार्थी खातेदार होने एवं विपक्षी खातेदार नहीं होने से विपक्षी सं. 1 से 4 को प्रार्थी की भूमि में दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अतः पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना न्यायहित में उचित हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर किया जाता है कि मौजा रख्यावल पटवार हल्का रख्यावल की आराजी नम्बर 942 किता 1 रकबा 0.5666 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी सं. 1 से 4 मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें। किसी प्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण कार्य नहीं करें। प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। (उपेन्द्र कुमार शर्मा) सहायक कलक्टर (SDO) मावली Signature Not Verified Digitally signed by Upendra Kumar Sharma Date: 2024.02.23 15:01:22 IST Reason: SelfAttested	